राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–377/2016/जयपुर

मै. सिमरन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
31–बी, माधव नगर,
करतारपुरा, जयपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,
सम्भाग तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग,
जयपुर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मोहन लाल सारण
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.09.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या प. 4()उपा/प्रशा.–III/कर/ 2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.12.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, सम्भाग तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम 2003 की धारा 24(4), 55 एवं 19ए में पारित किये एकपक्षीय निर्णय को रीओपन करवाने हेतु अधिनियम 2003 की धारा 34 के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीका किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, सम्भाग तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर द्वारा व्यवहारी द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु रिटर्न नहीं प्रस्तुत करने के कारण एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुये 8,69,321/– रू आउटपुट टैक्स, 25,000/– लेट फीस, 2,43,410/– रू ब्याज कुल 11,37,731/– रू. वसूल योग्य निर्णय दिनांक 13.01.2015 द्वारा निर्धारित किये। व्यवहारी को ई–मेल द्वारा नोटिस जारी किये गये थे परन्तु व्यवहारी द्वारा उपस्थित नहीं

लगातार.....2

आने के कारण एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम 2003 की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय आदेश को रीओपन करने हेतु निवेदन किया गया है। व्यवहारी ने इस आधार पर रीओपन करने का निवेदन किया था कि उसके पिता रिर्टन फाईल करने के समय बीमार थे व पिता की मृत्यु के पश्चात् व्यवसाय व परिवार डिस्टर्ब हो गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि व्यवहारी को निर्धारण आदेश दिनांक 22.04.15 को प्राप्त हो गया था जिसकी अपील 12.06.15 को प्रस्तुत की गई है जो निर्धारित समय सीमा 30 दिवस से 22 दिन अधिक है।

3. अपालार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि व्यवहारी की परिस्थितियों को देखते हुये एकपक्षीय आदेश निरस्त कर व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत है। इन्होंने अपने समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत्त, उदयपुर बनाम संस्कृत कम्फर्ट प्रा.लि. एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पीटिशन नम्बर 02499/2003 निर्णय दिनांक 29.09.2008 (वेस्टर्न लॉ कैसेस 241, 14.03.2009) का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

4. प्रत्यर्थी—विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अधिनियम की धारा 34 (1) के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में इसमें छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :—

6. विचाराधीन प्रकरण में व्यवहारी को ई—मेल द्वारा नोटिस जारी किये गये थे परन्तु व्यवहारी द्वारा उपस्थित नहीं आने के कारण एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम 2003 की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय आदेश को रीओपन करने हेतु निवेदन किया गया है। व्यवहारी ने इस आधार पर रीओपन करने का निवेदन किया था कि उसके पिता रिर्टन फाईल करने के समय बीमार थे व पिता की मृत्यु के पश्चात् व्यवसाय व परिवार डिस्टर्ब हो गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि व्यवहारी को निर्धारण आदेश दिनांक 22.04.15 को प्राप्त हो गया था जिसकी अपील 12.06.15 को प्रस्तुत की गई है जो निर्धारित समय सीमा 30 दिवस से 22 दिन अधिक है। व्यवहारी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है

लगातार.....3

जिसमें अपने पिता की बीमारी का उल्लेख किया है तथा यह भी उल्लेख किया है कि उसके पिता हॉस्पिटल में भर्ती थे। अपने शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि जिस ई—मेल पते पर व्यवसायी को नोटिस भेजा गया था वह ई—मेल उनके सी.ए. की थी जिन्होने इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। इस खण्डपीठ के अनुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में किये गये कथन संतोषजनक है। न्यायिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत्त, उदयपुर बनाम संस्कृत कम्फर्ट प्रा.लि. एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पीटीशन नम्बर 02499/2003 निर्णय दिनांक 29.09.2008 (वेस्टर्न लॉ कैसेस 241, 14.03.2009) का उल्लेख करना समीचीन है। इस न्यायिक दृष्टांत में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 में विलम्ब को इस आधार पर माफ किया है कि Limitation Act की धारा 29(2) के आधार पर धारा 5 लागू होगी क्योंकि इस अधिनियम में धारा 5 को Exclude नहीं किया है। इस न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में इस अपील में भी छूट दिया जाना विधिसम्मत हैं। यही धारणा इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अपील संख्या 2364/2008 मै. मोंगा कंस्ट्रक्शन कम्पनी बनाम उपायुक्त श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2010 में ली गई है। Limitation Act की धारा 5 में Limitation में छूट का प्रावधान है। व्यवहारी ने छूट हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, अतः यह न्यायालय यह उचित समझता है कि न्यायहित में व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

7. अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर कर निर्धारण द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश निरस्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी को आदेश दिये जाते है कि वे व्यवहारी को सुनकर पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत आदेश अतिशीघ्र पारित करें। व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 23.10.2017 को उपस्थित हो।

8. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य